

(कोविड-19)

अस्थायी वाहन अनुज्ञा पत्र

इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि जिस उद्देश्य से वाहन के प्रवेश की अनुमति चाही गयी है, मात्र उसी उद्देश्य से ही वाहन का प्रवेश होगा, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन पाये जान पर नियमों के विरुद्ध संचालन/प्रवेश की स्थिति में निमनानुसार विधिक कार्यवाही संबंधित थाना हाजा द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रवाही कार्यवाही सुनिश्चित की करेंगे।

01. आवेदक का नाम-सुदेश श्रीवास्तव(उपाध्यक्ष)
02. फर्म/एजेंसी का नाम-मैग्नेट वैचर्स लिमिटेड, 18/41 साईट-4, साहिबाबाद इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद।
03. वाहन का प्रकार एवं नम्बर-ट्रकों द्वारा
04. उद्देश्य-कोयले की आपूर्ति(रैक)रूट-गढमुक्तेश्वर से गाजियाबाद।
05. यह अनुमति केवल कोयला ढोने के लिये ही वैध है।
06. वाहन ओवर लोडिंग नहीं करेंगे।
07. यह अनुमति दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 27-03-2020 तक मान्य होगी।



अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- पुलिस अधीक्षक(नगर/ग्रामीण/यातायात) गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
गाजियाबाद।

पत्रांक-

1591

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

/एस0टी0-ए0डी0एम0 (सिटी) / 2020

दिनांक: 25-03-2020

(कोविड-19)

अस्थायी वाहन अनुज्ञा पत्र

इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि जिस उद्देश्य से वाहन के प्रवेश की अनुमति चाही गयी है, मात्र उसी उद्देश्य से ही वाहन का प्रवेश होगा, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन पाये जान पर नियमों के विरुद्ध संचालन/प्रवेश की स्थिति में निमयानुसार विधिक कार्यवाही संबंधित थाना हाजा द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित थाना प्रभारी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रवाही कार्यवाही सुनिश्चित की करेंगे।

01. आवेदक का नाम-सुदेश श्रीवास्तव(उपाध्यक्ष)
02. फर्म/एजेंसी का नाम-मैग्नेस वैचर्स लिमिटेड, 18/41 साईट-4, साहिबाबाद इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद।
03. वाहन का प्रकार एवं नम्बर-ट्रकों द्वारा
04. उद्देश्य-कोयले की आपूर्ति(रैक)रूट-गढमुक्तेश्वर से गाजियाबाद।
05. यह अनुमति केवल कोयला ढोने के लिये ही वैध है।
06. वाहन ओवर लोडिंग नहीं करेंगे।
07. यह अनुमति दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 27-03-2020 तक मान्य होगी।





अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- पुलिस अधीक्षक(नगर/ग्रामीण/यातायात) गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
गाजियाबाद।